उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द अथवा रोक या ऐसी अवधि,जो वे उचित समझें,तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है ।

2. यदि यह पाया जाता है कि प्रत्याशी ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उसका/उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और संबंधित राज्य सरकार अपने विवेक से भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि वसूल कर सकेगी ।

3. प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है यदि विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है जिसके लिए वह छात्रवृत्ति मूलत: दी गई थी अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन संस्था को बदल लेता है । संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में उन्हें सूचित करेगा और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान रोक देगा । राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गई राशि भी वसूल की जा सकती है ।

4. उसके द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान वह अध्ययन जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई है,छोड़ दिया जाता है तो राज्य सरकार के विवेक पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी ।

5. राज्य सरकार के विवेक से किसी भी समय ये विनियम बदले जा सकते हैं ।

.....जारी